कुल प्रश्नों की संख्या : 17
Total No. of Question: 17

कुल पृष्ठों की संख्या : 03
Total No. of Pages: 03

324

विषय : आशुलिपि हिन्दी (सिद्धान्त)

Subject : SHORTHAND HINDI (PRINCIPLES)

समय : 03 घण्टे
Time: 03 Hours

पूर्णांक : 100
Maximum Marks: 100

निर्देश :– सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर सुवाच्य एवं सुस्पष्ट हों। जहाँ आवश्यक हो वहाँ आशुलिपि की आउटलाइन बनाइये।

समय:1 घण्टा 30 मिनट पूर्णांक : 30

प्र.1 हिन्दी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? (1)

प्र.2 द्विध्वनिक स्वर के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? (1)

प्र.3 क्या शन हुक प्रारम्भ में भी लगाया जाता है? (1)

प्र.4 "स" वृत्त वक्र रेखओं में कहाँ लगाया जाता है? (1)

प्र.5 क्या वाक्यांश एक शब्द का होता है? (1)

प्र.6 त्रिध्वनिक स्वर से क्या आशय है? (1)

प्र.7 संयुक्त व्यंजन कौन–कौन से हैं? (1)

प्र.8 रेखओं को मिलाते समय पहली रेखा किस स्थान पर लिखी जाती है? (1)

प्र.9 क्या एक से अधिक रेखाओं को आपस में मिलाया जा सकता है? (1)

प्र.10 सीधी रेखा पर "र" का अंकुश किस तरफ लिखा जाता है? (1)

प्र.11 आशुलिपि क्या है? (2)

प्र.12 प्रारम्भिक हुक किन रेखओं पर नहीं लगाया जाता है? (2)

प्र.13 कम डाट कहाँ पर लगाया जाता है? उदाहरण सहित समझाइये। (2)

प्र.14 अंतिम अंकुश व–य के साथ स वृन्त बनाने की विधि क्या है? (2)

mpcareer.in

प्र.15 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : (4)

(अ) सीधी रेखाओं के पूर्व.........."र" रेखा का प्रयोग किया जाता है।

(ब) दो सीधी रेखओं के मध्य बड़ा वृत्त कोण को........................ लिखा जाता है।

(स) अर्द्धवृत्त.............को प्रकट करता है।

(द) "व" से पूर्व स्वर आने पर................लिखा जाता है।

प्र.16 उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है? (4)

प्र.17 निम्नलिखित शब्दों को आशुलिपि में लिखिए (कोई चार) (4)

(i) माता–पिता

(ii) भविष्य

(iii) भारत वर्ष

(iv) राजधानी

(v) विपक्ष

(vi) देशहित

डिक्टेश्न: 5 मिनट पूर्णांक: 40

अनुवाद एवं टंकण अवधि: 40 मिनट

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा लाए गए विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक जिन भावनाओं से ओत–प्रोत है, वह भवनाएं आज हमारे देश के समस्त सरकारी कर्मचारियों की हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी भी यही भावनाएं हैं। मैं अखिल भरतीय महासंघ का कई वर्षों तक अध्यक्ष रहा हूँ। इसलिए मैं उनकी भावनाओं से भलीभांति परिचित हूँ। माननीय सदस्य जिस भावना से यह विधेयक लाए हैं मैं अपने को उसके साथ जोड़ता हूँ।

महोदय, यह न्याय का पहला सिद्धाँत हैं कि बिना बचाव का अवसर दिए किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता। आपको उसे बचाव करने का अवसर देना चाहिए। यदि आप किसी कर्मचारी को बिना बचाव का अवसर दिए नौकरी से निकाल देते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस से बड़ा अन्याय और केई नहीं हो सकता। अभी हमारे मित्र सदन मे कह रहे थे कि इसके कारण सेवाओं में सुधार होगा। मैं

mpcareer.in

समझता हूँ कि इसमें सुधार नहीं होगा। इसको समाप्त करने की मांग भी सदन में बार–बार उठती रही है। आप अगर किसी को बचाव का अवसर दिये बिना सरकारी सेवा से हटाने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप समाजवादी नहीं हैं।

––––×––––

डिक्टेश्नः 5 मिनट **पूर्णांकः 30**

अनुवाद एवं टंकण अवधिः 40 मिनट

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक–एफ–2–1/2014/1/3 भोपाल दि. 07/2/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त जिलाध्यक्ष,

मध्यप्रदेश।

विषय–जनवरी 2014 से महंगाई भत्ता स्वीकृति आदेश।

राज्य शासन द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को माह जनवरी–2014 से महंगाई भत्ते की 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाती है।

(राजकुमार वर्मा)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

––––×––––

mpcareer.in